कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक 1962 /आउशि/योजना/08 भोपाल,दिनांक 27-12-08

प्रति,

समस्त प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषयः—जनरेटर सेट के क्रय के संबंध में ।

—0—

प्रदेश मे गत वर्ष व्याप्त बिजली संकट से छात्रो को होने वाली पढ़ाई के व्यवधान को रोकने के लिये योजना आयोग ने विभाग से चर्चा कर प्रत्येक महाविद्यालय को एक जनरेटर सेट प्रदाय करने का निर्णय लिया एवं इस संबंध मे राशि भी उपलब्ध कराई ।

इस जनरेटर सेट का स्पेसिफिकेशन लघु उद्योग निगम से प्राप्त कर समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यो को भेज दिया गया है ताकि महाविद्यालय स्तर से लघु उद्योग निगम को सीधे आदेश प्रदाय किया जा सकें ओर सफलतापूर्वक Installation के पश्चात सीधे भुगतान कर सके ।

लेकिन मुझे ज्ञात हुआ है कि कतिपय प्रकरण मे महाविद्यालय के प्राचार्यो ने सीधे लघु उद्योग निगम को आदेश प्रदाय न करते हुये कुछ दलालो को आदेश प्रदाय कर दिया है जो न तो डीजल सेट का निर्माण करते है ओर नाही व्यवसाय, ओर ऐसे दलाल आदेशो को निर्माताओ को बेचने के लिये राशि मांग रहे है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि क्रय आदेश विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से लघु उघोग निगम को भेजा जायें तथा कर्मचारियों की पावती लघु उघोग निगम से प्राप्त की जायें । यदि किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से लघु उघोग निगम मे आदेश प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति मे जनरेटर सेट के क्रय के भुगतान की राशि का आदेश वापिस कर लिया जायेगा ओर महाविद्यालय पर उत्पन्न हुआ व्यय भार आपके वेतन से कटोत्रा कर समायोजित किया जायेगा ।

(हस्ताक्षर)

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,उच्च शिक्षा